

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

--:: कार्यालय आदेश ::--

का० आ० सं०-1/स्थाप० (क्षे०)-विविध-06/2016-03 पटना-01, दिनांक-12.01.17

बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2008 के नियम 11 (2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित निम्नवर्गीय लिपिकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार नियोजन लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान बैंड वेतन 5200-20200/- + ग्रेड पे 2400) पर सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है-

क्र० सं०	नाम	वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	नये पदस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री कृष्णमोहन देव	112	जिला नियोजनालय, खगड़िया	जिला नियोजनालय, मुंगेर
2	श्रीमती चंदा किरण	113	निदेशालय नियोजन (मुख्यालय)	निदेशालय नियोजन (मुख्यालय)
3	श्री भोला राम	116	जिला नियोजनालय, पूर्णियाँ	अ०प्रा०नि०, डालमियानगर
4	श्री रणधीर बिहारी	120	जिला नियोजनालय, मुंगेर प्रतिनियुक्त जिला नियोजनालय, शेखपुरा	जिला नियोजनालय, पूर्णियाँ
5	श्री अरविन्द कुमार पासवान	121	उप निदेशक, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा	अ०प्रा०नि०, मुजफ्फरपुर
6	श्री भगवान सिंह	123	जिला नियोजनालय, कैमूर	जिला नियोजनालय, गोपालगंज
7	श्री विनोद कुमार	126	उप निदेशक, मगध प्रमण्डल गया	अ०प्रा०नि०, पटना
8	श्री विशाल	127	जिला नियोजनालय, औरंगाबाद	अ०प्रा०नि०, पटना
9	श्री राजकुमार प्रसाद	130	अ०प्रा० नि०, डालमियानगर	जिला नियोजनालय, नवादा
10	श्री धीरज कुमार	131	अ०प्रा० नि०, पटना	अ०प्रा०नि०, पटना (मा० मंत्री श्रम संसाधन विभाग के कोषांग में प्रतिनियुक्ति)
11	श्री अभिषेक कुमार	136	जिला नियोजनालय, आरा	जिला नियोजनालय, हाजीपुर

- प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
- यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एवं एस० एल० पी० (सी०) सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के समक्ष विचाराधीन सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-12033/2003 संजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य तथा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-9214/2000 राजेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
- श्री वंशीधर प्रसाद सिंह, उच्चवर्गीय लिपिक की जिला नियोजनालय, गोपालगंज एवं श्री संजय कुमार सिन्हा, निम्नवर्गीय लिपिक की जिला नियोजनालय, अररिया में पूर्व की गई प्रतिनियुक्तियों को रद्द करते हुए मूल पदस्थापन स्थान क्रमशः अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा एवं जिला नियोजनालय, पूर्णियाँ में आदेश निर्गत की तिथि से स्वतः विरमित किया जाता है।
- प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

(क०पू०उ०)

ज्ञापांक-1/स्थाप0 (क्षे0)-विविध-06/2016-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन),/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/सभी संबंधित नवप्रोन्नत उच्चवर्गीय लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नवप्रोन्नत उच्चवर्गीय लिपिकों को नव पदारथापित कार्यालय में योगदान हेतु 15 जनवरी 2017 तक विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सभी स्थानांतरित उच्चवर्गीय लिपिकों का जनवरी 2017 का वेतन भुगतान स्थानांतरित स्थान से ही किया जाय।

2. श्री वंशीधर प्रसाद सिंह, उच्चवर्गीय लिपिक, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा (प्रतिनियुक्त-जिला नियोजनालय, गोपालगंज) एवं श्री संजय कुमार सिन्हा, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला नियोजनालय, पूर्णियाँ (प्रतिनियुक्त-जिला नियोजनालय, अररिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप0 (क्षे0)-विविध-06/2016-23

पटना-01, दिनांक-12.01.17

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने संबंधी कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।



निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

७५